न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बइजलास हीरालाल मीना, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2014

प्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण– 2. आशाराम पुत्र दौलाराम कौम जाट व घनंश्याम, सीताराम, जगदीश पिता गंगाविशन कौम साद ग्राम सातलावास तहसील मेड़ता।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995

निर्णय दिनांक –14.09.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सातलावास के पुराने खसरा नं. 80 रकबा 12 बीघा 15 बिश्वा की खातेदारी श्री सांवलराम वल्द धनाराम कौम भाट के नाम दर्ज थी। राजस्व रेकोर्ड की जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। सांवलराम पुत्र श्री धनाराम जाति नट थी, जो राजस्थान अनुसूचित जाति में शामिल एवं खातेदार सांवलराम पुत्र श्री धनाराम अनुसूचित जाति का सदस्य था। उक्त भूमि पूराने खं. न. 80 रकबा 12 बीघा 15 बिश्वा को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.12.1982 को खरीददार श्री आशाराम पुत्र दौलाराम कौम जाट व गंगाविशन पुत्र हनुमानद दास कौम साद निवासी सातलावास के द्वारा क्रय की गई है। पंजीकृत दस्तावेज की प्रति संलग्न है। उक्त दस्तावेज की पालना में खरीददार , क्रेता श्री आशाराम पुत्र दौलाराम कौम जाट व गंगाविशन पुत्र हनुमानदास कौम साद निवासी सातलावास के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 379 दायर किया गया जिसका अमल दरामद राजस्व संवत 2036 से 2039 में किया जा चुका है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त भूमि के भू. प्रबन्ध के पश्चात नये खसरा न. 106 रकबा 2.09 हैक्टेयर बना है , और इसके वर्तमान खातेदार आशाराम पुत्र श्री दौलाराम कौम जाट व घनश्याम, सीताराम,जगदीश पिता गंगाविशन कौम साद निवासी सातलावास जो राजस्व रेकोर्ड जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 में दर्ज की प्रति संलग्न है। ग्राम सातलावास के पुराने खं.न. 80 रकबा 12 बीघा 15 बिश्वा जिसके नये ख.न. 106 रकबा 2.09 हैक्टेयर बने है। इस कृषि भूमि पर वर्तमान खातेदार श्री आशाराम पुत्र श्री दौलाराम कौम जाट व घनश्याम, सीताराम, जगदीश पिता गंगाविशन कौम साद निवासी सातलावास का कब्जा एवं कास्त है।. उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि ग्राम सातलावास के पुराने खसरा नं. 80 रकबा 12 बीघा 15 बिश्वा नये खसरा नं. 106 रकबा 2.09 हैक्टेयर है की भूमि मूलत अनुसूचित जाति श्री सांवलराम पुत्र श्री धनाराम कौम भाट (नट) के नाम दर्ज थी। जिसका जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख स्वर्ण जाति के खातेदार श्री आशाराम पुत्र श्री दौलाराम कौम जाट व गंगाविशन पुत्र श्री हनुमान दास कौम साद सा. सातलावास ने क्रय किया एवं वर्तमान में मौक पर कब्जा व कास्त है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी का उल्लघंन है। प्रकरण दर्ज कर उक्त आराजीयात को सिवायचक राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज करे।

प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के प्रत्रांक पीए/2014/319 दिनांक 23.04.2014 तहसीलदार भू. अभिलेख मेड़ता के पत्रांक भूअ/प्राथमिक जांच/2014/1431 दिनांक 29.01.2014 जमाबन्दी ग्राम सातलावास संवत 2036 से 2039 खाता संख्या 303 प्रार्थना पत्र विवेकानन्द दिनांक 10.05.2013 नामान्तरकरण संख्या 379 जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 खाता संख्या 13

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

तहसीदार मेड़ता का प्रमाण पत्र क्रमांक विविध/98/64 दिनांक 29.01.1998 रजिस्ट्री बेचान की प्रतियां पेश की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाबदेही तलब किया गया। अप्राथीगण की ओर से वकील श्री अब्दुल सलीम ने वकालतनामा पेश कर जवाब किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 सही है पैरा संख्या 2 का जवाब यह है कि सावलराम जाति नट नहीं है बड़ी विचित्र एवं हास्याप्पद स्थिति है कि राजस्व रेकर्ड (रेकार्ड ऑफ राईटस) जमावन्दी खतौनी में सांवलराम की जाति भाट दर्ज है तथा इस तथ्य को पैरा संख्या 1 में रेकर्ड सहित उल्लेखित है फिर इस पैरा में सांवलराम की जाति नट किस आधार पर उल्लेखित की। पैरा संख्या 3 से 6 सही है पैरा संख्या 7 जिस प्रकार से जिस आशय से लिखा , गलत , झुटा, काल्पनिक होने से अस्वीकार है। इस संवन्ध में उपर विस्तृत जवाब दिया जा चुका है इसमें पुनरावृति नहीं की जा रही है। यहां यह लिखना सुसंगत रहेगा कि राजपत्रित, जिम्मेदार अधिकारी द्वारा राजस्व रेकर्ड के विपरित कथन कतई उचित नहीं है। जमावन्दी (खतौनी) का राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 140 के प्रावधानांतर्गत सत्यता की उपधारणा है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज योग्य है। अतिरिक्त आपतियों में लिखा है कि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानांतर्गत प्रार्थना पत्र (प्रस्तुत प्रार्थना पत्र) का प्रावधान नहीं है। जिससे प्रतुस्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है तथा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण न होने तथा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के प्रावधानान्तर्गत वाद कारण प्रकृट न होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175 आर.टी.एक्ट. काविल खारिज के है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175 आर.टी.एक्ट. मय खर्चा खारिज किया जावें।

प्रार्थी राजपेरोकार भूमिधारी तहसीलदार मेड़ता उपस्थित होकर वहस में भाग लेते हुए कहा कि खातेदार सांवलराम की जाति नट थी इसकी पुष्टी सांवलराम पुत्र हजारीराम द्वारा प्राप्त अनुसुचित जाति प्रमाण पत्र जिसमें जाति नट लिखी गई है से सावित होती है यदि सांवलराम वास्तव में जाति से भाट होता तो उसका पुत्र नट अनुसुचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता अतः सांवलराम की जाति भाट न मानते हुए नट मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी वहस में कहा कि स्वयं राजपेरोकार ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में लिखा कि ग्राम सातलावास के पुराने खसरा नं. 80 रकवा 12 वीघा 15 विश्वा की खातेदारी श्री सांवलराम वल्द धनाराम कौम भाट के नाम दर्ज थी। राजस्व रेकोर्ड की जमावन्दी संवत 2036 से 2039 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। जव रेकर्ड ऑफ राईट खतौनी (जमावन्दी) में खातेदार की जाति भाट अंकित है तो वह नट कैस हो सकता है यह वताने में राजपेरोकार असफल रहे है तथा खातेदार सांवलराम की जाति भाट होने से ही अप्रार्थीगण ने भूमि को जरियें रजिस्ट्रर्ड वेचाननाम से भूमि खरीद की है तथा स्वंय राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण प्रति में नोट में पटवारी सातलावास पुसाराम पारासर ने दिनांक 24.02.83 में लिखा है कि श्रीमान तहसीलदार साहव मेड़ता क्रमांक भूअ/83/318 दिनांक 18.02.83 के अनुसार वेचान क्रेता सांवलराम पुत्र धन्नाराम कौम भाट को अनुसुचित जाति व जनजाति नहीं माना है। जिससे स्पष्ट है कि तत्कालिन भूमिधारी तहसीलदार मेड़ता ने भी सांवलराम को अनुसुचित जाति व जनजाति नहीं माना है तो वर्तमान तहसीलदार द्वारा किस आधार पर सांवलराम को नट अनुसुचित जाति का होना माना है। इसका कोई सवुत पेश नहीं किया है अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील पक्षकारान की वहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत जमावन्दी ग्राम सातलावास संवत 2036 से 2039 में खाता संख्या 303 खसरा नं. 80 रकवा 12.15 वीघा की खातेदारी सांवलराम पुत्र धन्नाराम कौम भाट सा. देह खातेदार अंकित है इस प्रकार रेकर्ड ऑफ राईटस् (खतौनी) जमावन्दी में सांवलराम की जाति भाट अंकित किया है जो अनुसुचित

Scanned by CamScanner

जाति/जनजाति की सुचि में नहीं है। स्वंय राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण प्रति संख्या 379 में नोट में पटवारी सातलावास पुसाराम पारासर ने दिनांक 24.02.83 में लिखा है कि श्रीमान तहसीलदार साहब मेड़ता क्रमांक भूअ/83/318 दिनांक 18.02.83 के अनुसार बेचान क्रेता सांवलराम पुत्र धन्नाराम कौम भाट को अनुसुचित जाति व जनजाति नहीं माना है। जिंससे स्पष्ट है कि तत्कालिन भूमिधारी तहसीलदार मेड़ता ने भी सांवलराम को अनुसुचित जाति व जनजाति नहीं माना है तो वर्तमान तहसीलदार द्वारा किस आधार पर सांवलराम को नट अनुसुचित जाति का होना माना है। इसका कोई सबुत पेश नहीं किया है। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार मेड़ता द्वारा जारी अनुसुचित जाति प्रमाण पत्र विविध/98/64 दिनांक 29.01.98 हजारीराम का है न की खातेदार सांवलराम का है। हजारीराम ने किस आधार पर नट जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है इसका कोई विवरण तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं किया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने का आधार रेकर्ड ऑफ राईट (खतौनी) जमबन्दी है न की किसी प्रकार का प्रमाण पत्र चुंकि खातेदार सांवलराम की जमाबन्दी में जाति भाट अंकन है जो कि अनुसुचित जाति/जनजाति की सुची में नहीं आता है।

तहसीलदार ने बिना रेकार्ड ऑफ राईटस की जांच किये मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बनवाये गये दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि तहसीलदार भूमि धारी और तहसीलदार को रिकोर्ड ऑफ राईट (जमाबन्दी) से परे जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करना था क्योकि जमाबन्दी (रिकार्ड ऑफ राईटस) ही वह मूल दस्तावेज है जिसके आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र आदि बनाये जाते है यदि तहसीलदार के समक्ष अप्रार्थीगण के ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत हुए तो उनकी जांच की जाती और बिना किसी आधार के ऐसे दस्तावेज बनाने पर संबधित के विरूध नियमानुसार कार्यवाही कर ऐसे दस्तावेजों को निस्तारित करने की कार्यवाही की जाती। प्रकरण में न्यायालयों के लिए भी रेकार्ड ऑफ राईट से परे (बाहर) जाकर प्रकरण का निस्तारण करना विधि संम्मत नहीं है तहसीलदार के प्रमाण पत्र से यह सिद्ध नहीं होता कि रिकार्ड ऑफ राईट में गलत एन्ट्री के रूप में जाति भाट दर्ज है जब रिकार्ड ऑफ राईट में जाति भाट दर्ज है तो अन्य साक्ष्य स्वत ही अस्वीकार योग्य है। सांवलराम पुत्र धन्नाराम की जाति नट होने का कोई प्रमाणित राजस्व अभिलेख/ दस्तावेज प्रत्रावली पर नहीं है उसके निधन के बाद वारिसों ने अपनी जाति नट का प्रमाण पत्र बनाया उसके आधार पर तहसीलदार ने जमाबन्दी में दर्ज जाति को गलत मानते हुए रिकार्ड शुद्धि हेतु सक्षम न्यायलय में प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो विधि संम्मत नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

सांवलराम की जाति जमाबन्दी में भाट अंकित है ना की नट इस प्रकार उपरोक्त विषलशेण के आधार पर यह बखुबी साबित होता है कि खातेदार सांवलराम की जाति रेकर्ड ऑफ राईट (खतौनी) जमाबन्दी में भाट अंकित है न की नट जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है , तथा जमाबन्दी में जाति भाट दर्ज होते हुए भी नट जाति का जाति प्रमाण पत्र सांवलराम के वारिसान द्वारा बनाया है तो उसकी तहसीदार जाँच करे एवं दोषी पाये जाने पर संबन्धित के विरूध नियमानुसार कार्यवाही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

14.9.17

(हीसलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)